भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2412

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2023 को दिया जाना है।

.....

मेकेदातु परियोजना

2412. श्री प्रज्जवल रेवन्नाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक राज्य में मेकेदातु पेयजल परियोजना, अपर भद्रा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बंगलौर शहर को पेयजल उपलब्ध कराने और मानसून के दौरान समुद्र में बहने वाले अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए मेकेदातु परियोजना को अनुमोदित किया हौ और यदि हां, तो इस संबंध में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या सरकार ने अपर भद्रा परियोजना (यूबीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की लागत, स्वीकृत और अब तक जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ग): कर्नाटक के मेकेदातु संतुलन जलाशय सह पेयजल परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) को केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। केन्द्रीय जल आयोग ने 24.10.2018 को परियोजना के प्रस्तावक प्राधिकरण (कर्नाटक सरकार) द्वारा डीपीआर को कतिपय शर्तों के अधीन तैयार करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं "जैसा कि एफआर में उल्लिखित है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा-संशोधित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के फैसले को लागू करना है, इसलिए जल शक्ति मंत्रालय संबद्ध

सलाहकार समिति द्वारा इस डीपीआर पर विचार करने हेतु कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) की पूर्व-स्वीकृति लेना अपेक्षित होगा"।

इसके उपरांत, जनवरी 2019 में मेकेदातु संतुलन जलाशय सह पेयजल परियोजना की डीपीआर कर्नाटक सरकार द्वारा केंद्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गई थी और इसकी डीपीआर को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) को भेजा गया था। इस डीपीआर की चर्चा को कार्यसूची मद के रूप में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) की विभिन्न बैठकों में शामिल किया गया था। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) की दिनांक 02.12.2022 को आयोजित 18वीं बैठक में विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि जब तक कि तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर 2022 के आईए 84201 पर माननीय उच्चतम न्यायालय निर्णय नहीं लिया जाता तब तक कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) मेकेदातु परियोजना के साथ-साथ कावेरी बेसिन की किसी भी अन्य परियोजना पर विचार-विमर्श के संबंध में एक समान रुख अपनाएगा।

ऊपरी भद्रा परियोजना के संबंध में, कर्नाटक सरकार का उपक्रम, अर्थात् विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड द्वारा 21,473.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस परियोजना को लागू किया जा रहा है। यह परियोजना कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है।

*****